भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 600
4 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

आवास की कमी

600. डॉ. ए. चेल्लाकुमारः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में घरों की वर्तमान मांग और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए आवास की कमी का पता लगाने के लिए हाल में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) 'भूमि' और 'कालोनीकरण' राज्य के विषय होने के कारण समाज के विभिन्न वर्गों के लिए शहरी रिहायशी इकाइयों की आवश्यकता के बारे में सर्वेक्षण एवं निर्धारित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (पूर्ववर्ती आवासन और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय) ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए देश की शहरी आवासीय कमी के आकलन के संबंध में एक तकनीकी समूह (टीजी-12) का गठन किया था। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार, 12वीं योजनावधि के आरंभ में अर्थात् 2012 में कुल आवासीय कमी 18.78 मिलियन थी।

दिनांक 25.06.2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-शहरी) के आरंभ के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग का आकलन करने के लिए

मांग सर्वेक्षण करवाने का अनुरोध किया गया है। अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित निर्धारित मांग लगभग 112 लाख है।

शहरी आवास एवं आवासीय कमी के वितरण के आकलन संबंधी तकनीकी समूह द्वारा आकलित राज्य-वार शहरी आवासीय कमी एवं पीएमएवाई-यू के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित मांग अनुलग्नक-I पर दी गई है।

(ग) तथा (घ) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूह के पात्र लाभार्थियों की आवासीय आवश्यकता के समाधान के लिए पीएमएवाई-यू का क्रियान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-यू के अंतर्गत ऋण संबद्ध सहायता स्कीम (सीएलएसएस) के क्षेत्र को 01.01.2017 से मध्यम आय समूह (एमआईजी) को शामिल करने हेतु विस्तारित किया गया था। स्कीम के अंतर्गत, अब तक 110 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं जिनका ब्यौरा अनुलग्नक-II पर दिया गया है।

दिनांक 04.02.2021 के लोक सभा अतारांकित प्र. सं. 600 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत वैधीकरण के पश्चात् निर्धारित आवासीय मांग सहित 12वीं योजना अवधि के आरंभ में शहरी आवासीय कमी के आकलन संबंधी तकनीकी समूह (टीजी-12) द्वारा आकलित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आवासीय कमी।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तकनीकी समूह (टी-जी-12) द्वारा आकलित आवासीय कमी (मिलियन में)	पीएमएवाई-यू के अंतर्गत वैधीकरण के पश्चात् निर्धारित आवासीय मांग
आंध्र प्रदेश*	1.27	2.370
अरुणाचल प्रदेश	0.03	0.012
असम	0.28	0.130
बिहार	1.19	0.400
छत्तीसगढ	0.35	0.254
गोवा	0.06	0.005
गजरात	0.99	0.765
हरियाणा	0.42	0.300
हिमाचल प्रदेश	0.04	0.015
जम्म और कश्मीर **	0.13	0.042
झारखंड	0.63	0.200
कर्नाटक	1.02	0.700
केरल	0.54	0.150
मध्य प्रदेश	1.10	0.850
महाराष्ट्र	1.94	1.175
मणिपर	0.08	0.046
मेघालय	0.03	0.007
मिजोरम	0.02	0.031
नागालैंड	0.21	0.032
ओडिशा	0.41	0.300
पंजाब	0.39	0.100
राजस्थान	1.15	0.300
सिक्किम	0.01	0.002
तमिलनाड	1.25	0.830
त्रिपरा	0.03	0.085
उत्तराखंड	0.16	1.500
उत्तर प्रदेश	3.07	0.050
पश्चिम बंगाल	1.33	0.471
एक और एन द्वीप	0.00	0.001
चंडीगढ	0.02	0.001
दादरा और नगर हवेली	0.05	0.005
दमन और दीव	0.01	0.001
दिल्ली	0.49	0.079
लक्षद्वीप	0.01	-
पडचेरी	0.07	0.015
अखिल भारतीय	**18.78**	**11.221**

टिप्पणी: * : आंध्रप्रदेश से अभिप्राय पूर्ववर्ती आंध्रप्रदेश राज्य है अर्थात् यह क्षेत्र अब मौजूदा आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना राज्य में शामिल है।

** : जम्मू और कश्मीर से अभिप्राय पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर है अर्थात् यह क्षेत्र अब जम्मू और कश्मीर का संघ राज्य क्षेत्र एवं लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में शामिल है।

दिनांक 04.02.2021 के लोक सभा अतारांकित प्र.सं. 600 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक –II

पीएमएवाई-यू के विभिन्न घटकों के अंतर्गत स्वीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आवास

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थी आधारित आवास निर्माण (बीएलसी)	भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी)	स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर)	ऋण संबद्ध सहायता स्कीम (सीएलएसएस)	पीएमएवाई-यू में समग्र
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	38	555	-	19	**612**
2	आंध्र प्रदेश	16,74,815	3,11,186	1,617	38,851	**20,26,469**
3	अरुणाचल प्रदेश	5,688	-	1,536	201	**7,425**
4	असम	1,20,134	128	108	2,898	**1,23,268**
5	बिहार	3,38,038	-	11,276	11,403	**3,60,717**
6	चंडीगढ़	-	-	-	1,316	**1,316**
7	छत्तीसगढ़	1,67,896	75,442	300	19,032	**2,62,670**
8	यूटी डीएनएच और डीडी	1,424	1,726	-	4,023	**7,173**
9	दिल्ली	-	-	-	22,859	**22,859**
10	गोवा	60	-	-	3,499	**3,559**
11	गुजरात	1,23,333	2,19,646	92,811	3,23,347	**7,59,137**
12	हरियाणा	67,411	1,80,879	3,593	26,977	**2,78,860**
13	हिमाचलप्रदेश	10,673	-	300	1,237	**12,210**
14	जम्मू और कश्मीर (यूटी)	52,210	1,008	-	2,614	**55,832**
15	झारखंड	1,37,983	45,235	19,748	9,856	**2,12,822**
16	कर्नाटक	2,24,914	3,54,418	23,125	69,876	**6,72,333**
17	केरल	1,02,325	774	2,118	19,746	**1,24,963**
18	लद्दाख (यूटी)	1,347	-	369	61	**1,777**
19	लक्षद्वीप (यूटी)	-	-	-	-	**-**
20	मध्य प्रदेश	5,94,633	1,43,104	10,295	93,266	**8,41,298**
21	महाराष्ट्र	2,46,472	4,98,249	2,23,506	3,18,384	**12,86,611**
22	मणिपुर	49,978	-	-	198	**50,176**
23	मेघालय	4,554	-	-	212	**4,766**
24	मिजोरम	34,062	-	142	1,575	**35,779**
25	नागालैंड	30,921	-	1,054	28	**32,003**
26	ओडिशा	1,40,816	6,962	18,535	7,167	**1,73,480**
27	पुडुचेरी	12,706	-	-	1,831	**14,537**
28	पंजाब	76,230	570	1,025	24,938	**1,02,763**
29	राजस्थान	78,187	43,167	21,908	69,663	**2,12,925**
30	सिक्किम	515	-	-	52	**567**
31	तमिलनाडु	4,59,056	1,67,328	4,880	68,380	**6,99,644**
32	तेलंगाना	-	1,53,701	1,198	55,212	**2,10,111**
33	त्रिपुरा	80,544	1,000	3,005	1,650	**86,199**
34	उत्तर प्रदेश	15,28,741	1,33,668	8,409	96,324	**17,67,142**
35	उत्तराखंड	13,081	13,180	3,130	11,440	**40,831**
36	पश्चिम बंगाल	4,45,696	2,394	472	47,369	**4,95,931**
	कुल योग :-	**68,24,481**	**23,54,320**	**4,54,460**	**13,55,504**	**1,09,88,765**

****